

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : सुश्री भावना गौड़.


दिनांक : 26.03.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 298

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्रसं.	प्रश्न	उत्तर
क	भवन उप नियमों के अनुसार दिल्ली में बहुमंजिला भवनों की अधिकतम निर्धारित उंचाई किनती है;	<p style="text-align: center;">दक्षिणी दिल्ली नगर निगम</p> <p>बहुमंजिला भवनों की उंचाई-6 यूनिफाईड बिल्डिंग बाईलॉज-2016 के अनुसार निम्नलिखित है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्रुप हाउसिंग-उंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई. /अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद) 2. रात आश्रय- 26 मीटर 3. स्टूडियो अपार्टमेन्ट-उंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई. /अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद) 4. सामुदायिक केन्द्र, जिला केन्द्र- उंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई. /अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद) 5. व्यवसायिक प्लांट- उंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई. /अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद) 6. होटल, मोटल- उंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई. /अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद) 7. फ्लैटिड समूह उद्योग-26 मीटर 8. जिला न्यायालय-उंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई. /अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद) 9. अस्पताल- उंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई. /अग्निशमन विभाग, डी0एम0ए0, एन0एम0ए0 तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद) 10. अन्य अस्पताल सुविधाएँ-26 मीटर 11. प्राईमरी स्कूल/उच्चतम माध्यमिक विद्यालय-18 मीटर 12. विश्वविद्यालय/उच्चतम माध्यमिक विद्यालय-37 मीटर 13. खेल कूद- उंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए.आई. /अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद) 14. सामाजिक सांस्कृति सुविधाएं, 26 मीटर 15. विज्ञान केन्द्र-26 मीटर 16. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र- उंचाई प्रतिबंधित नहीं (ए.ए. आई. /अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों से स्वीकृति के बाद) 17. अन्य सामाजिक केन्द्र-26 मीटर 18. सार्वजनिक अर्ध- सार्वजनिक-26 मीटर

		19. धार्मिक स्थल हूहरी विस्तार में उप शहर का स्तर-26 मीटर
ख	पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राज नगर, पालम गांव, महावीर एन्क्लेव, मधु विहार, हरिजन बस्ती, रामफल चौक के पास इस निर्धारित उंचाई के कौन कौन से भवन बनाए जा रहे हैं;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम इस संबंध में इस भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र में इस प्रकार का कोई विस्त सर्वेक्षण नहीं किया गया है।
ग	क्या यह भी सत्य है कि कुछ भवन-निर्माताओं/बिल्डर्स द्वारा इन भवनों की पार्किंग के स्थान में भी छोटे फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम उपरोक्तानुसार
घ	यदि हां, तो क्या यह भवन निर्माण के नियमों के उल्लंघन नहीं हैं;	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम हां, उपरोक्तानुसार
च	यदि हां, तो क्या उपरोक्त भवन-निर्माणों में दोषी भवन-निर्माताओं/बिल्डर्स के विरुद्ध क्या अब तक कोई कार्रवाई की गई है इसका पूरा ब्यौरा क्या है?	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम यह सूचित किया जाता है कि अनधिकृत निर्माण के बारे में भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र के संज्ञान में आता है तो उस पर डी.एम.सी एक्ट की धाराओं 343 और 344 के अंतर्गत दिनांक 01.01.2018 से 19.03.2018 41 निर्माणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की गई है (उपरोक्त प्रश्न 'ख' में दिखाए गए वार्डों के अनुसार)


R. S. Parmar
 Dy. Secy. (Urban Development)
 Govt. of NCT of Delhi
 Delhi Secretariat